प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 फरवरी, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में संस्थान में ब्लड ट्रान्सफ्यूजन डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल स्टोर, पी0आर0ए0 कैन्टीन, रेजीडेण्ट हास्टल ट्रांजिट हास्टल एवं मल्टी टियर कार पार्किंग के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3774/डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0/वित्त एवं लेखा/2014 दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-3699/71-3-2008-आर0एम0-15/2008 दिनांक 27-2-2009 द्वारा रू0 300 लाख, शासनादेश संख्या-4453/71-3-2010-आर0एम0-15/2008 दिनांक 28-12-2010 द्वारा रू0 1200 लाख, शासनादेश संख्या-1395/71-2-2011-आर0एम0-15/2008 दिनांक 15-4-2011 द्वारा रू0 1000 लाख तथा शासनादेश संख्या-1652/71-2-2013-आर0एम0-15/2008 दिनांक 23-8-2013 द्वारा रू0 2214.79 लाख अवमुक्त धनराशि के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ में ब्लड ट्रान्सफ्यूजन डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल स्टोर, पी0आर0ए0 कैन्टीन, रेजीडेण्ट हास्टल ट्रांजिट हास्टल एवं मल्टी टियर कार पार्किंग के अवशेष निर्माण कार्यो हेतु भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित कार्यदायी संस्था नामित करते हुए रू0 91,75,72,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष रू0 11,81,85,000/- (रूपया ग्यारह करोड़ इक्यासी लाख पचासी हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान की होगी। प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
2. वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई 2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संस्थान/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. किचन इक्यूपमेन्ट के संबंध में संस्थान द्वारा इसके इस्तेमाल एवं रख-रखाव के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि इसका फायदा मरीजों को मिल सके। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।
4. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेक्स चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
6. संस्थान द्वारा पर्यावरण विभाग से नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स प्राप्त किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. प्रायोजनान्तर्गत भवन निर्माण में कतिपय विशिष्टियॉ जैसे स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, यू0पी0वी0सी0 विन्डो, ब्लैक ग्रेनाइट एवं वी0आर0वी0 एयरकन्डीशनिंग, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, आई0पी0पी0बी0एक्स, आई0पी0 कैमरा एवं GPON+ वाई0फाई0 नेटवर्किंग जोकि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है।
8. प्रायोजनान्तर्गत एल0टी0 पैनल डिस्ट्रिब्यूशन कार्य, ई0पी0बी0ए0एक्स0 सिस्टम, पैसेन्जर लिफ्ट, जनरेटर, केन्द्रीय वातानुकूलन (वी0आर0बी0 सिस्टम) वाटर साफ्टनर प्लांट, हाउस कीपिंग/क्लीनिंग सिस्टम तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं सी0सी0टी0वी0 एवं फर्नीचर की स्थापना हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त किया जाय। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अंतर से लागत में अंतर आना स्वाभाविक है। अत: संस्थान यह सुनिश्चित करें कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।
9. प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु संस्थान स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ पी0एफ0ए0डी0/शासन को भी समय-समय पर उपलब्ध कराया जाये।
10. संस्थान द्वारा प्रायोजना में प्रस्तावित प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्यो पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अंतर्गत किया जायेगा।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
12. उक्त कार्य की वर्तमान तभा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे संस्थान अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/संस्थान की होगी।

2- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा,शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/232/दस-2015, दिनांक 09 फरवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-20/2015/4805(1)/71-2-14-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. **महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2. **कोषाधिकारी, लखनऊ।**
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0इ0मे0सा0, लखनऊ।**
5. **वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4 ।**
6. **रीजनल मैनेजर, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, बी-4, महानगर एक्सटेंशन लखनऊ।**
7. **प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।**
8. **गार्डफाइल।**

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।